महिंदर सिंह सुल्लर, जे.

आर.एन. श्रीवास्तव- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन

फेडरेशन लिमिटेड, पंचकुला- प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी.नं. 2001 का 18358

17 फ़रवरी 2011

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 220-हरियाणा राज्य आपूर्ति और विपणन सहकारी सेवा (सामान्य कैडर) नियम, 1969 (1988 नियमों द्वारा प्रतिस्थापित)-याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 12 वर्ष से अधिक की सेवा प्रदान करने के बाद सेवानिवृत्त हुए-पुनर्विचार लाभ के लिए दावा- इस आधार पर इनकार कि याचिकाकर्ता 1988 के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ का हकदार नहीं है - नियुक्ति पत्र के अनुसार 1969 के नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित सेवा के नियम और शर्तें - क्या याचिकाकर्ता 1969 के नियमों के तहत उसे स्वीकार्य पुन: परीक्षण लाभों का हकदार है - माना जाता है, हां- इसके बाद संशोधित 1988 नियमों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, जिससे याचिकाकर्ता के मूल्यवान और कानूनी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा - याचिका स्वीकार की गई।

माना गया कि याचिकाकर्ता अपने नियुक्ति पत्र के मद्देनजर 1969 के नियमों के अनुसार गणना किए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार है। इसका मतलब यह है कि 1988 के नियमों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, जिससे याचिकाकर्ता के मूल्यवान और कानूनी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह मामला रेस इंटीग्रा नहीं है और अच्छी तरह से सुलझा हुआ है। इसलिए, याचिकाकर्ता 1969 के नियमों के तहत उसे मिलने वाले सभी सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार है और प्रतिवादी-संघ को कानूनी तौर पर बाद में संशोधित 1988 के नियमों की आड़ में उसके मूल्यवान और कानूनी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(पैरा 12 और 15)

याचिकाकर्ता के वकील चौधरी।

गिरीश अग्निहोत्री, वरिष्ठ वकील, विजय पाल, प्रतिवादी के वकील।

महिंदर सिंह सुल्लर, जे.

(1) संक्षेप में, तथ्य, जिन्हें तत्काल रिट याचिका में शामिल और रिकॉर्ड से निकलने वाले मुख्य विवाद को तय करने के सीमित उद्देश्य के लिए आवश्यक उल्लेख की आवश्यकता है, वह यह है कि याचिकाकर्ता को विकास अधिकारी (भंडारण) के पद पर नियुक्त किया गया था। , हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन फेडरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ द्वारा नियुक्ति पत्र दिनांक 2 मार्च, 1983 (अनुलग्नक पी-1) के आधार पर- प्रतिवादी (संक्षिप्तता के लिए "प्रतिवादी-फेडरेशन")। नियुक्ति पत्र के अनुसार सेवा के अन्य नियम और शर्तें हरियाणा राज्य आपूर्ति और विपणन सहकारी सेवा (सामान्य संवर्ग) नियम, 1969 (संक्षिप्तता के लिए '1969 नियम*) के प्रावधानों द्वारा शासित होंगी। 12 वर्ष से अधिक की सेवा प्रदान करने के बाद, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, 30 अप्रैल, 1995 को वे सेवा से सेवानिवृत्त हो गये। याचिकाकर्ता ने पहले दावा किया था कि चूंकि प्रतिवादी-महासंघ ने उनके सेवानिवृत्ति लाभ जारी नहीं किए, इसलिए उन्होंने 1997 का सीडब्ल्यूपी नंबर 10221 दायर किया, जिसे इस न्यायालय ने 20 जनवरी, 1998 के आदेश (अनुलग्नक पी-2) के माध्यम से अनुमति दी थी। जिसका ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है-

''हम निर्देश देते हैं कि रुपये की राशि। उत्तरदाताओं द्वारा जमा किए गए 85,006.00 रुपये तुरंत याचिकाकर्ता को जारी किए जाएं। बाद में देय शेष राशि, यदि कोई हो, के लिए याचिकाकर्ता प्रतिवादियों से संपर्क करने में सक्षम होगा। याचिकाकर्ता उस तारीख से 18% की दर से ब्याज का भी हकदार है, जो उसे देय राशि पर प्रतिवादियों को आज से एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा। उत्तरदाताओं के पास याचिकाकर्ता को सीधे ब्याज का पैसा भेजने का विकल्प भी है।

इन टिप्पणियों के साथ, हम इस याचिका को उन लागतों के साथ स्वीकार करते हैं जो 5,000 रुपये में निर्धारित हैं।

उत्तरदाता अपनी ओर से हुई चूक के कारण संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से उन्हें हुई किसी भी हानि की वसूली करने के हकदार हैं।

याचिकाकर्ता के अनुसार उपरोक्त निर्देश के बावजूद, प्रतिवादी-महासंघ ने 1969 के नियमों के अनुसार उनके पक्ष में सेवानिवृत्ति लाभ की राशि जारी नहीं की। उन्होंने इस संबंध में प्रतिवादी महासंघ को विस्तृत अभ्यावेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता को फिर से 1999 की एक और रिट याचिका संख्या 15373 दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें प्रतिवादी महासंघ को 2 नवंबर, 1999 के एक अन्य आदेश (अनुलग्नक पी -3) के आधार पर, इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के अपने प्रतिनिधित्व का निपटान करने का निर्देश दिया गया था। . प्रतिवादी-महासंघ ने अभ्यावेदन पर निर्णय लिया और इस संबंध में 6 जून, 2000 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-4) के माध्यम से उनके दावे को खारिज कर दिया।

(3) याचिकाकर्ता फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ और उसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के प्रावधानों को लागू करते हुए, आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-4) को चुनौती देते हुए तत्काल रिट याचिका दायर की।

(4) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामला संक्षेप में, जहां तक प्रासंगिक है, यह था कि नियुक्ति पत्र (अनुलग्नक पी-1) के अनुसार, उसकी सेवा की अन्य शर्तें और नियम 1969 के नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित थे, लेकिन प्रतिवादी- फेडरेशन ने 1969 के नियमों के अनुसार ग्रेच्युटी के उनके सेवानिवृत्ति लाभों और अवकाश नकदीकरण आदि के बदले में राशि की गणना नहीं की।

(5) विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हुए और घटनाओं के क्रम को बताते हुए, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह 1969 के नियमों के अनुसार अपने सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार है, जिसे 1988 की आड़ में प्रतिवादी महासंघ द्वारा अवैध रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। नियम। उपरोक्त आरोपों के आधार पर, याचिकाकर्ता ने 1969 के नियमों के अनुसार अपने सेवानिवृत्ति लाभों का दावा किया और ऊपर बताए गए तरीके से विवादित आदेश (अनुलग्नक पी-4) को रद्द करने की मांग की।

प्रतिवादी-महासंघ ने याचिकाकर्ता के दावे का विरोध किया और लिखित बयान दाखिल किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, रिट याचिका की पोषणीयता, याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र और कार्रवाई के कारण की कुछ प्रारंभिक आपत्तियां शामिल थीं। यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता की सेवा के अन्य नियम और शर्तें नियुक्ति पत्र (अनुलग्नक पी-1) के अनुसार 1969 के नियमों द्वारा शासित थीं। हालाँकि, यह कहा गया कि बाद में हरियाणा राज्य आपूर्ति और विपणन सहकारी सेवाएँ (सामान्य संवर्ग) नियम, 1988 (संक्षिप्तता के लिए '1988 नियम') 12 जुलाई, 1988 को लागू हुए और याचिकाकर्ता की सेवा शर्तें 1988 द्वारा शासित हुईं। नियम, इसलिए, 1988 के नियमों के मद्देनजर सभी सेवानिवृत्ति लाभों की गणना की गई और याचिकाकर्ता को जारी किया गया। यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि प्रतिवादी-संघ ने 1969 के नियमों के तहत याचिकाकर्ता के अधिकारों और रिट याचिका में निहित अन्य सभी आरोपों को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया है और इसे खारिज करने की प्रार्थना की है। इस प्रकार, मैं इस मामले को समझ गया हूँ।

(6) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने, उनकी बहुमूल्य सहायता, प्रासंगिक कानून और पूरे मामले पर विचार देने के बाद, मेरे विचार से, तत्काल रिट याचिका इस संदर्भ में स्वीकार करने योग्य है।

(7) प्रथम दृष्टया, प्रतिवादी-संघ के विद्वान वकील का मुख्य तर्क यह है कि चूंकि 1969 के नियमों को पहले ही 1988 के नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, इसलिए, याचिकाकर्ता ग्रेच्युटी की राशि और अवकाश नकदीकरण का दावा करने का हकदार नहीं है। 1969 के नियमों का आधार न तो मान्य है और न ही **आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य बनाम सैयद यूसुफुद्दीन अहमद (1)** मामले में माननीय सर्वोच्च

न्यायालय की टिप्पणियाँ वर्तमान मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू होती हैं, जिसमें परिवार के तहत कल्याण कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को प्रशासनिक आदेश के माध्यम से एक प्रोत्साहन दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि निचले पद या उच्च पद पर नसबंदी ऑपरेशन के लिए स्वीकृत अग्रिम वेतन वृद्धि 'व्यक्तिगत वेतन' के रूप में उपलब्ध रहेगी। अजीबोगरीब तथ्यों और उस मामले की परिस्थितियों में, यह देखा गया कि प्रशासनिक निर्देशों द्वारा दिए गए ऐसे प्रोत्साहन को पेंशन नियमों के नियम 31 के वैधानिक प्रावधानों के तहत परिलब्धियों के हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता है, ताकि प्रतिवादी दावा कर सके उसकी पेंशन निर्धारित करने के लिए ऐसी राशि को शामिल करना। पेंशन नियमों के नियम 31 के प्रयोजन के लिए सरकारी कर्मचारी की 'परिलब्धियों' का अर्थ वह वेतन होगा, जिसे वह मौलिक नियमों के नियम 9 (21) (ए) (i) के तहत परिभाषित कर रहा है और प्रशासनिक रूप से दिया गया व्यक्तिगत वेतन है। सरकार पेंशन को शामिल करने के उद्देश्य से वेतन का हिस्सा नहीं बनेगी। संभवतः, उपरोक्त टिप्पणियों के संबंध में कोई भी विवाद नहीं कर सकता है, लेकिन मेरे लिए, यह वर्तमान विवाद में प्रतिवादी-संघ के बचाव में नहीं आएगा।

(9) जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह 1969 के नियमों के अनुसार, अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी की राशि का हकदार है, जबकि प्रतिवादी-महासंघ के अनुसार, वह 1988 के नियमों के अनुसार, सेवानिवृत्ति लाभ का हकदार है। यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता की सेवा के अन्य नियम और शर्तें 1969 के नियमों द्वारा शासित थीं, नियुक्ति पत्र (अनुलग्नक पी -1) और 1988 के नियमों के मद्देनजर उनकी सेवा के नियमों और शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी आदि के बदले राशि की गणना के संबंध में चिंतित हैं। इस प्रकार, इस संबंध में विवाद एक संकीर्ण दायरे तक सिमट कर रह गया है।

(10) रिकॉर्ड पर स्थिति से ऊपर, अब संक्षिप्त और महत्वपूर्ण प्रश्न, हालांकि महत्वपूर्ण है, जो इस याचिका में निर्धारण के लिए उठता है, कि क्या 1969 नियम या 1988 नियम याचिकाकर्ता के मामले पर लागू होंगे?

(11) पार्टियों के विद्वान वकील की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार से, याचिकाकर्ता अपने नियुक्ति पत्र (अनुलग्नक पी-1) के मद्देनजर 1969 के नियमों के अनुसार गणना किए जाने वाले पुनर्परीक्षण लाभों का हकदार है। इसका मतलब यह है कि 1988 के नियमों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, जिससे याचिकाकर्ता के मूल्यवान और कानूनी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह मामला फिर से एकीकृत नहीं है और अच्छी तरह से सुलझा हुआ है।

(12) बीसीपीपी मजदूर संघ और अन्य बनाम एन.टी.पी.सी. मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक समान प्रश्न उठा। और अन्य, (2). संविधान के अनुच्छेद 14 की तरह सेवा शर्तों की व्याख्या

करते हुए, यह फैसला सुनाया गया कि "सरकार या उसके साधन अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में बदलाव नहीं कर सकते हैं और पूर्वाग्रह पैदा करने वाला ऐसा कोई भी बदलाव अवसर दिए बिना या पूर्व निर्धारित किए बिना नहीं किया जा सकता है।" निर्णयात्मक सुनवाई और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का मनमाना और उल्लंघन होगा।"

क्रम में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एच.एल. त्रेहन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में, (3) निम्नानुसार देखा-

"यह अब कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि संबंधित सरकारी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देकर प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किए बिना किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी मौजूदा अधिकार, लाभ या लाभ से कोई वंचित या कटौती नहीं की जा सकती है। . किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा की मौजूदा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली शक्ति का कोई भी मनमाना या मनमौजी प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। माना जाता है कि निदेशक मंडल द्वारा विवादित परिपत्र जारी होने से पहले कोरिल के कर्मचारियों को अपने मामले की सुनवाई या प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं दिया गया था। इसलिए, आक्षेपित परिपत्र को कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करता है।

(15) इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून का अनुपात "म्यूटैटिस म्यूटैंडिस" वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होता है और मौजूदा समस्या का पूर्ण उत्तर है। इसलिए, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता 1969 के नियमों के तहत उसके लिए स्वीकार्य सभी सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार है और प्रतिवादी-संघ कानूनी तौर पर बाद में संशोधित 1988 नियमों की आड़ में उसे इससे इनकार करने की अनुमति नहीं दे सकता है, जो उसके मूल्यवान और कानूनी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। अधिकार।

(16) विचार करने योग्य कोई अन्य कानूनी बिंदु, पार्टियों के विद्वान वकील द्वारा न तो आग्रह किया गया है और न ही दबाया गया है।

(17) उपरोक्त कारणों के आलोक में, तत्काल रिट याचिका रुपये की लागत के साथ स्वीकार की जाती है। 10,000. नतीजतन, विवादित आदेश (अनुलग्नक पी-4) को रद्द किया जाता है। प्रतिवादी-महासंघ को 1969 के नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता के सभी सेवानिवृत्ति लाभों की गणना करने और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर उसे भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर वह (याचिकाकर्ता) इस प्रासंगिक संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ की शेष राशि पर मुआवजे के रूप में 18% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज का हकदार होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पारस चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा